तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/2/19	वकुलाय उपस्थित। बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसमें दिनांक 29.06.2011 को मौके की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए गए थे। उक्त स्थगन आदेश प्रभावी रहते हुए अप्रार्थीगण द्वारा जैर अपील विवादित आराजी में कुंआ खोदा तथा भूमि के मौके की भौतिक स्थिति में परिवर्तन किया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना की हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 3ए सी0पी0सी0 के तहत स्वीकार करावें एवं मौके की स्थिति में हुए परिवर्तन की पुर्नस्थापना करवाते हुए अप्रार्थीगण को दण्डित कराने का आदेश पारित करावें। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि मौके पर कुंआ व सड़ा पूर्व से ही निर्मित हैं। अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के आदेशों की किसी भी रूप में अवहेलना नहीं की गई हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज़ करावें। प्रकरण में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, इस कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। उभयपक्ष द्वारा मूल वाद के साथ साथ प्रकरण हाजा के निस्तारण करने का निवेदन किया गया, इस पर बहस सुनी जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का मूल आधार यह है कि दिनांक 29.06.2011 को जैर प्रार्थना पत्र विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश प्रभावी होने के बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा मौके की भौतिक स्थिति में परिवर्तन किया गया हैं। इन तथ्यों को साबित करने हेतु प्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। विधि अनुसार तथ्यों को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है, जिसके द्वारा उन तथ्यों को उठाया गया हैं। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को साबित करने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होता हैं। अतः समुचित साक्ष्य के अभाव में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 3ए के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज़ किया जाता हैं। पत्रावली फैसल में शुमार होकर मूल वाद के नत्थी की जावे। **राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली**	